10.02.20	वतुल्माय उप०। प्रार्थी उदाराम स्वयं उप०। वकील प्रार्थी द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत प्रा. प. के आधार पर मूलवाद जरिए डिक्री खारिज किया जाने के फलस्वरूप इस प्रा. प. को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है, लिहाजा प्रा. प. समाप्त (Dropp) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर पाली	उदाराम

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.17 12:07:16 IST
Reason: SelfAttested